Title: Need to fix the term of Lok Sabha and State Legislature for five years.

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) (उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

संविधान में लोक सभा का कार्यकाल पांच वर्ष का है लेकिन प्रधान मंत्री जी को यह अधिकार है कि वह बीच में ही लोक सभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। शायद संविधान निर्माताओं को यह उम्मीद नहीं रही होगी कि भारत में भी 'हंग पार्लियामेंट' बनेगी। लगभग एक दशक से तीसरी बार 'हंग पार्लियामेंट' का गठन हुआ है।

MR. SPEAKER: Is it necessary to mention this in the House?

श्री गंगा चरण राजपूत : जी हां। १९८९ में 'हंग पार्लियामेंट' बनी जो सिर्फ ग्यारह महीने ही चली। उसके बाद १९९६ में 'हंग पार्लियामेंट' बनी जो एक साल भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पायी। एक बार लोक सभा चुनाव कराने में सरकार का लगभग एक हजार करोड़ रुपया खर्च होता है, प्रत्याशियों का और उनके समर्थकों का तथा राजनीतिक पार्टियों का लगभग १०,००० करोड़ रुपया खर्च होता है। इस तरह से देश में पैसे की तथा समय की बर्बादी होती है, विकास अवरुद्ध हो जाता है। अशिक्षा, गरीबी, भूख तथा बेरोजगारी बढ़ जाती है। यही कारण है कि हिन्दुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ, सबसे ज्यादा गरीब, बीमार और लाचार देश हो गया है। इसलिए सदन को इस बारे में आज गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर यही हालत रही कि बार-बार हर साल चुनाव होंगे तो देश को हम आर्थिक संकट से नहीं उबार सकते हैं, इसलिए सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि बजट सैशन में वह कानून लाएं कि लोक सभा और विधान सभाओं का कार्यकाल पांच साल होना चाहिए। पांच साल से पहले लोक सभा और विधान सभाएं भंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है और मैं आशा करता हूं कि इससे सभी दलों के नेता सहमत होंगे।

MR. SPEAKER: Do you want to speak on the same point?

*m02

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : यस, अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, गंगाचरण राजपूत जी, ने जो बात कही है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्कता है। मैं छः बार संसद सदस्य चुनकर आया हूं। यह नहीं कि हम पांच साल एमपी रहना चाहते हैं, दोनों पक्ष के सदस्य भी यही चाहते हैं और यह देश के हित में भी है कि देश बार-बार चुनाव को नहीं झेल सकता है। चुनाव पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इलैक्शन कमीशन जब एक बार चुनाव घोषित कर देता है और कहता है कि जून में इलैक्शन होंगे, तो आज से ही डवेलपमेंट का काम रुक जाता है तथा कोड-ऑफ-कन्डक्ट लागू हो जाता है। यह अलग बात है कि सरकारें बदलती रहें, लेकिन संसद की लाइफ पांच साल तक रहे। ऐसा बहुत सारे देशों में हैं, जहां संविद की सरकारें काम कर रही हैं। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन संसद की लाइफ पांच साल तक रहती है। इसके लिए बहुत से तरीके हो सकते हैं। एक रास्ता यह हो सकता है, जब नो-कान्फिडेंस-मोशन एक प्रधान मंत्री के खिलाफ सदन में प्रस्तुत हो, उसी समय कान्फिडेंस मोशन भी लिया जाए कि सदन किनको प्रधान मंत्री बनाना चाहता है। उसी समय सदन में तय हो जाए, तो सदन का कार्यकाल पांच साल तक चलता रहेगा। यह अलग बात है, जब तक आल्टरनेटिव प्रधान मंत्री नहीं होगा, तब तक वह प्रधान मंत्री के पद पर काम कर सकता है। यह एक तरीका है, लेकिन दूसरे भी तरीके हो सकते हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि संविधान विशेषज्ञों को बुलाकर, देश के हित में कोई रास्ता निकालना चाहिए। इस विषय में सदन डिवाइडेड नहीं है। सदन का कार्यकाल पांच साल तक रहना चाहिए, अन्यथा हाल में अगला चुनाव होगा और उसमें भी कोई गारन्टी नहीं दे सकता है कि एक दल की सरकार बनेगी।

देश पर संसद के चुनाव का बोझ बारबार नहीं लादा जा सकता है, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

MR. SPEAKER: Shri Kalpnath Rai, I have already called Shri Basu Deb Acharia.
... (Interruptions)
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): He has called me to speak. (Interruptions)
Since yesterday, thousands of workers from the Hindustan Steelworks Construction Limited and the Tannery and Footwear Corporation of Kanpur are holding a dharna. (Interruptions)
MR. SPEAKER: Are you not speaking on the same issue?
SHRI RAM VILAS PASWAN : He is speaking on another subject.
SHRI BASU DEB ACHARIA : This is a very important matter. (Interruptions)
MR. SPEAKER: I thought that you were speaking on the same subject. I will call you later on. I now call Shri Kalpnath Rai.
... (Interruptions)

*m03

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : अध्यक्ष महोदय, भाग्य से सदन में भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री चन्द्रशेखर जी मौजूद हैं। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। १९९६ में लोकसभा के चुनाव हुए और फिर डेढ़ साल के बाद दोबारा चुनाव हुए, जिसमें २९० एमपीज हार गए। एक-डेढ़ साल के बाद फिर १९९८ के चुनाव में २८८

एमपीज हार गए। बहुत लम्बी तपस्या, त्याग और कुर्बानियों के बाद एक व्यक्ति को किसी दल का टिकट मिलता है और वह एमपी बनता है।

डेढ़ साल के अंदर ही लोकसभा भंग हो जाए और जो दूसरा सदन राज्यसभा का है, जिसको आप सारी वही सुविधाएं देते हैं जो सुविधा लोकसभा को देते हैं। वहां ऐसे भी लोग हैं जो कभी जिन्दगी में एक बार चुने जाते हैं तो छः साल के लिए होते हैं, जो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन यहां कोई एम.पी. बन गया और वह डेढ़ साल में चला गया तो उसका क्या होगा। लोकसभा में जो हिन्दुस्तान की स्थिति है उससे तो ऐसा लगता है कि बार-बार चुनाव होगा, बार-बार कोआलीशन गवर्नमेंट बनेगी। ऐसी हालत में चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बने लेकिन लोकसभा का कार्यकाल पांच साल रहना चाहिए।

मेरा आपसे निवेदन है कि इसके लिए संविधान में संशोधन लाने में आप पहल कीजिए, अध्यक्ष महोदय, आपके पहल पर इसका कार्यकाल पांच साल किया जाए। ... (व्यवधान)

*m03

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि हिन्दुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसके पांच वर्ष से कम में वोट कराने में जनता पर बड़ा भारी बोझ पड़ जाता है, इसलिए सदन के तमाम माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। महोदय, हमने संवैधानिक प्रावधान का गंभीर अध्ययन किया है, उसके बाद आज हमने एक बिल दिया। अगर आपकी कृपा होगी तो वह बिल आएगा। उसके अनुसार संविधान में एक ही शब्द के संशोधन कर देने से सदन की आयु पांच वर्ष से कम नहीं रहेगी। उसमें हमने दिया है, राष्ट्रपति जी का जो क्लाज़ है कि राष्ट्रपति जी पार्लियामेंट को भंग कर सकते हैं उसी में है कि भंग को हटा कर राष्ट्रपति जी निलम्बित कर सकते हैं, सिर्फ इस एक शब्द को बदलना है। यदि सदन की सहमति हो तो सदन की आयु पांच वर्ष से कम की नहीं रहेगी। आज ही आपने प्राइवेट मेम्बर बिल में इसको लाने की अनुमति दी है।

... (व्यवधान)

SHRI MADHUKAR SIRPOTDAR (MUMBAI NORTH-WEST): I have given it.

... (व्यवधान)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : इसलिए उसको सरकार मान ले और उस पर सहमति हो जाए तो देश का बड़ा भारी कल्याण होगा। उसमें हमने सारी बातों का वर्णन कर दिया है। यह बहुत अच्छा सवाल उठाया है और यह जनहित में है इसलिए इसको किया जाए। ... (व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, kindly allow me.
MR. SPEAKER: I will allow you later. I have called you earlier because I thought you were going to speak on the same point. I will call you later.

... (व्यवधान)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : कांग्रेस को भी कहिए कि वे भी अपनी राय दें। ... (व्यवधान)

PROF. P.J. KURIEN : Sir, I would like to say something because they are asking as to what the Congress party has to say on this. I would say that it is for the Government to consider it and bring forward a Bill. The Government can take a view on this.

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले कुरियन जी को बोलने दो।

PROF. P.J. KURIEN : It is a basic constitutional question. It is for the Government to take a view. The Prime Minister can call a meeting of all the leaders and discuss the matter. We will express our views in the appropriate forum. There is no need for us to say anything here.

... (व्यवधान)